बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संचिका सं0–15/आरोप (भोजपुर) 02–46/2022–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

श्री अनुज कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, कोईलवर, भोजपुर के विरूद्ध विधि विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में बालू का अवैध खनन भंडारण एवं परिवहन में प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं0–471(15) दिनांक–26.07.2021 द्वारा निलंबित करते हुए मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया गया।

2. उक्त आरोपों के लिये विभाग स्तर पर श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–880(15) दिनांक–28.06.2022 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक–28.07.2022 से अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। विभागीय संकल्प सं0–526(15) दिनांक–17.03.2023 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री एस0एम0 कैसर सुल्तान, तत्कालीन संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सम्प्रति सेवानिवृत्त को जाँच/संचालन पदाधिकारी तथा श्री अरविन्द कुमार, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी सम्प्रति अवर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी–सह–संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के गै0प्रे0सं0–16 दिनांक–19.06.2023 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

5. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं0–13888 दिनांक–21.07.2023 की कंडिका–5(iii) में निहित प्रावधानों के आलोक में अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–06.02.2024 को आयोजित बैठक में श्री कुमार को निलम्बन मुक्त किये जाने की कि गई अनुशंसा के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय संकल्प सं0–426(15) दिनांक–15.03.2024 द्वारा श्री कुमार को निलम्बन मुक्त किया गया।

6. आरोपी पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक–1779(15) दिनांक–24.09.2025 से द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा विलम्ब से दिनांक–30.04.2026 से अपना द्वितीय कारण–पृच्छा/अभ्यावेदन विभाग को समर्पित किया गया।

7. आरोप पत्र में गठित आरोपों एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन/समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध अवैध बालू के खनन, भंडारण एवं परिवहन संबंधी आरोपों के लिए गठित आरोप–पत्र में आय से अधिक संपति का मामला सम्मिलित नहीं है परंतु आर्थिक अपराध इकाई के जाँच प्रतिवेदन में अवैध बालू के उत्खनन / परिवहन के कारोबार में आरोपी पदाधिकारी का भूमिका संदिग्ध प्रतिवेदित की गई है, साथ ही आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध आय से अधिक संपति अर्जित करने के संबंध में कांड सं0–25/2021 दिनांक–18.01.2021 दर्ज है एवं स्थानीय एवं स्थलीय

जाँच सूत्रों के अनुसार बालू के अवैध उत्खनन परिवहन के कारोबार में उनकी भूमिका संदिग्ध बतायी गयी है, आर्थिक अपराध इकाई के पत्रांक–9398, दिनांक–26.11.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गए कांड की सूचना एवं प्राथमिकी की छायाप्रति में चल–अचल संपति की विवरणी संलग्न है, जिसमें अंकित किया गया है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अपने ज्ञात आय के श्रोत से लगभग 52 प्रतिशत अधिक की परसंपति अर्जित की गयी है। ऐसी परिस्थिति में संलिप्तता संदिग्ध के आधार पर आरोपी पर लगाये गये आरोप की पुष्टि नहीं होती है परंतु इनके चल अंचल सम्पति की जाँच में अपने आय के स्रोत से लगभग 52 प्रतिशत अधिक की परिसम्पति अर्जित की गई है जिससे अवैध बालू उत्खनन में शामिल लोगों को मदद पहुँचाने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है जो धारा 13(2) सह पठित 13 (1) (बी) भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 यथा संशोधित 2018 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध है। आरोप की प्रकृति काफ़ी गंभीर श्रेणी की है।

8. उक्त वर्णित तथ्यों के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध "संचयी प्रभाव के साथ 01(एक) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

9. अतएव आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अनुज कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, कोईलवर, भोजपुर **सम्प्रति अंचल अधिकारी, पाटलीपुत्रा, पटना** के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(vi) के तहत **"संचयी प्रभाव के साथ 01(एक) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–**15/आरोप (भोजपुर) 02–46/2022**–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपि :–समाहर्त्ता, भोजपुर एवं पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भोजपुर एवं पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/श्री अनुज कुमार, अंचल अधिकारी, पाटलीपुत्रा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–**15/आरोप (भोजपुर) 02–46/2022**–754(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–08/06/2026

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री अनुज कुमार** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

08/6/26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।